न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 258 / 2022 तारीख दायर : 16 . 6 . 2022

अनवान

1. बलवंत पुत्र मिश्रीलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. भगवतसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.... प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 16 / 6 / 2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी बलवंत पुत्र मिश्रीलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री अरविन्द कुमार वैष्णव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां में खाता सं0 250 की आराजी नं0 477/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074– 2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां में खाता सं0 250 की आराजी नं0 477/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि **100**/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500**/– रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0सं0 / 2022/248/22 दिनांक : 16 / 6 / 2022

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या 248/ 2022 में पत्थरगढी बाबत्।

अनवान

1. बलवंत पुत्र मिश्रीलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. भगवतसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.... प्रार्थीगण

बनाम

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.... विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां में ख़ाता सं0 250 की आराजी नं0 477 / 3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। वक्त पत्थरगढी विपक्षीगणों एवं पड़ोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी की जावें

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा